

।।कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा।।

ज्ञापन

क्रमांक / प्र.3 / भू-अर्जन / 2024

बेमेतरा, दिनांक

प्रति,

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

(जल संसाधन विभाग), बेमेतरा (छ0ग0)

विशय:- भू-अर्जन प्रकरण के धारा 19 की अधिसूचना का छ.ग. राजपत्र एवं दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने बाबत।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय के भू-अर्जन प्रकरण प्रकरण में धारा-19 अधिसूचना प्रारूप में कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर उपरांत उक्त अधिसूचना का छ.ग. राजपत्र में एवं दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया जाना है।

उक्त अधिसूचना की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। अतः धारा 19 अंतर्गत अधिसूचना का छ.ग. राजपत्र में एवं दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कर राजपत्र की प्रति एवं दोनो समाचार पत्रों की मूल प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :- अधिसूचना की प्रति।

भू-अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी बेमेतरा (छ.ग.)
बेमेतरा, दिनांक 13/03/2024

पृ0क्रमांक / 526 / प्र.3 / भू-अर्जन / 2024
प्रतिलिपि:-

3. कार्यालय कलेक्टर (एन.आई.सी. शाखा) बेमेतरा की ओर धारा 19 अंतर्गत अधिसूचना का वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सादर संप्रेषित।
4. कार्यालय तहसीलदार(माल-जमादार शाखा) बेमेतरा की ओर धारा -19 अधिसूचना को कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यालय ग्राम पंचायत नवलपुर के सूचना पटल पर चस्पा कर तामिल उपलब्ध कराने बाबत प्रेषित।

भू-अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी बेमेतरा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला-बेमेतरा एवं पदेन उप-सायब
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
// अधिसूचना //

बेमेतरा, दिनांक 05/03/24

क्रमांक 66/..... /अ-82/2021-22

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की सिरवाबांधा जलाशय के डुबान हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषणा किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

—: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन -

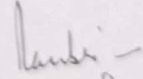
1. जिला :- बेमेतरा, 2. तहसील :- बेमेतरा 3. ग्राम :- सिरवाबांधा, प.ह.नं. 46
4. भूमि का क्षेत्रफल :- 0.32 हे.

खसरा नम्बर	रकबा हे.में
1	2
4	0.08
5	0.07
19/2	0.08
19/3	0.09
योग :-	0.32 हे.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(रणबीर शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग